पत्र संख्या–वन भूमि–13/2017– व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

ए0 के0 रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–

विषयः– गिरिडीह जिला में हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा–बड़की सरिया, टोला मन्धनियाँ में 132/33के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरखक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–339 दिनांक–08.05.2017 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा–बड़की सरिया, टोला मन्धनियाँ में 132/33के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–09/98–FC दिनांक–13.05.2011 एवं दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धांतिक सहमति निम्न शर्त्तों के साथ दी जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.05 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(ग) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(ड़) प्रस्तावित अपयोजन में यदि आवश्यक हुआ, तो वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर अधिकत्तम 09 वृक्षों का पातन किया जा सकेगा।

(च) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(छ) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

(ज) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

(झ) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेंदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(ञ) अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(द) ग्रिड निर्माण के उपरान्त रिक्त स्थानों पर यथासंभव वृक्ष लगाना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ध) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति की शर्त्तों के अनुपालन होने के उपरान्त अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि –13/2017– 2331 व0प0, राँची दिनांक– 01-06-2017

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय– राँची, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

सरकार के विशेष सचिव